राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भीलवाड़ा

क्रमांक– (ADM City)/2015/197 दिनांक–11/09/2015

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल,
भीलवाड़ा।

विषयः–जनसुनवाई बाबत्।
प्रसंगः श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय का पत्रांक 44769–71 दिनांक 17.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जिला कलक्टर महोदय के प्रासंगिक आदेशानुसार PUBLIC HEARING FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE IN RESPECT OF PRPOSED BANERA IRON ORE MINE (2 MTPA OF IRON ORE MINE, 2 MTPA CRUSHING & BENEFICIATION AND 0-6 MTPA PELLETIZATION) TEHSIL BANERA DISITRICT BHILWARA MS RASHTRIYA ISPAT NIGAM (A GOVT OF INDIA UNDERTAKING) के लिए जनसुनवाई की जानी है। जिस हेतु नीचे वर्णितानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

क्रम संख्या	क्षेत्र का का नाम (तहसीलवार)	जनसुनवाई हेतु नियत स्थान	जनसुनवाई हेतु नियत दिनांक	जनसुनवाई हेतु नियत समय
1	बनेड़ा	पंचायत समिति कार्यालय	05नवम्बर,2015 गुरूवार	11.30AM से

अतः पत्र सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(निमिषा गुप्ता)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को उनके प्रासंगिक आदेश क्रमांक 44769–71 दिनांक 17.07.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. विकास अधिकारी बनेड़ा पं० स० भीलवाड़ा।
5. MS RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED ADMINISTRTIVE BUIKDING VISAKAPATNAM

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

ग्राम -बरा, सुल्तानगढ़, बनेड़ा, नाथुडिया, काजलोडिया, लापिया और किशनपुरिया, तहसील- बनेड़ा,जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान में मैसर्स राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) की प्रस्तावित बनेड़ा लोह अयस्क खनन परियोजना (एम.एल.न. 07 /2010) खनन पट्टा क्षेत्र 945.8575 हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता 20 लाख टन प्रति वर्ष लौह अयस्क (20 लाख टन प्रति वर्ष क्रशिंग एवं बेनिफिसेयेशन एवं 6 लाख टन प्रति वर्ष पैल्लेट उत्पादन) के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) के पत्रांक - ए. डी. एम.- (शहर) / 2015 / 197,दिनांक - 11.09.2015 क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक – राप्रनिम 2015/ क्षैका भील/भीलवाड़ा / SP- 64, दिनांक 16.09.2015 के क्रम में मैसर्स राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि0 द्वारा प्रस्तावित लौह अयस्क खनन परियोजना(एम.एल.न. 07/2010)खनन पट्टा क्षेत्र 945.8575 हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता 20 लाख टन प्रति वर्ष लौह अयस्क (20 लाख टन प्रति वर्ष क्रशिंग एवं बेनिफिसेयेशन एवं 6 लाख टन प्रति वर्ष पैल्लेट उत्पादन) के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक - 05.11.2015 प्रातः 11.00 बजे पंचायत समिति कार्यालय, बनेड़ा परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

जनसुनवाई की आम जन सुचना का प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक -04.10.2015 को किया गया था। जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

जनसुनवाई निम्न अधिकारीयों की उपस्तिथि में आयोजित की गयी:

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर),भीलवाड़ा श्री आनंदी लाल वैष्णव
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा श्री महावीर मेहता

जनसुनवाई के दौरान उपस्तिथ अन्य अधिकारी एव ग्रामवासियो का उपस्तिथि पत्र मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर), उपखण्ड अधिकारी महोदय, महाप्रबन्धक राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि0, विभिन्न जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एव उपस्थित आमजन का हार्दिक स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस क्षेत्र में लगने वाले राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि0 के ईस्पात संयंत्र की पर्यावरण स्वीकृति बाबत् क्षेत्र के लोगों को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत किसी भी खनन कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति लेना आवश्यक होती है, जिसमें क्षेत्रिय लोगों की क्या भावनायें एवं विचार है, सभी का समावेश करना होता है। इसी क्रम में आरआईएनएल के प्रस्तावित लौह अयस्क खनन परियोजना के बारे में आज भी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस बारे में दिनांक 4.10.2015 को

1

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

दैनिक भास्कर एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी तथा उसके बाद क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया था। यहाँ पर मेकॉन के प्रतिनिधि भी उपस्थित है, जो आपको विस्तार से इस परियोजना के बारे में बतायेंगे। उसके बाद आपमें से जो भी व्यक्ति अपने आक्षेप या विचार रखना चाहें, एक एक करके मंच पर आयें तथा अपना नाम एवं पता बताकर अपने विचार रख सकते हैं।

इसके बाद परियोजना के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार मखीजा को परियोजना के बारे में उपस्थित जनता को विस्तार से अवगत कराने के लिये आमंत्रित किया।

श्री अशोककुमार मखीजा, महाप्रबन्धक आर.आई.एन.एल द्वारा दिये गये उद्बोधन के अंश:

मैं अशोककुमार मखीजा, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 आज की जन सुनवाई में उपस्थित अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर), उपखण्ड अधिकारी महोदय बनेड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण मण्डल, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, तहसीलदार महोदय बनेड़ा, विकास अधिकारी महोदय बनेड़ा, विभिन्न विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित आमजन का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग राष्ट्रीय इस्पात निगम से है जिसकी एक शाखा वर्तमान में विशाखापट्टनम में संचालित है। इस संयंत्र मे पहले 30 लाख टन स्टील उत्पादन कर रहे थे जिसकी क्षमता अभी बढ़ाकर 63 लाख टन कर दी गयी है। हमारे इस संयंत्र में 51 लाख पेड़ लगाये जा चुके हैं जिसे आगे बढ़ाकर 63 लाख करने का है। इसके साथ जनता के सामने संयंत्र मे लगे हुये पेड़ों का फोटोग्राफ भी प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया और कहा कि हम 63 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही विशाखापट्टनम संयंत्र में स्टील की कैसे ढलाई की जाती है, उसके भी फोटोग्राफ का प्रजेन्टेशन दिखाया। हमारे विशाखापट्टनम संयंत्र को गुणवत्ता के क्षेत्र में आई.एस.ओ. के निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त है।

- ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली के लिये आई.एस.ओ. 50001 (भारतीय इस्पात उद्योग में प्रथम)
- गुणवत्ता के लिये आई.एस.ओ. 9001,
- स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिये ओ.एच.एस.ए.एस. -18001
- पर्यावरण के लिये आई.एस.ओ.–14001
- आई टी प्रणालियों के लिये सी.एम.एम.आई.लेवेल–3 का प्रमाणन
- कार्यस्थल प्रबन्धन के लिये 5–एस (भारतीय इस्पात उद्योग में प्रथम सार्वजनिक उपक्रम)

हमारे विशाखापट्टनम संयंत्र में यदि किसी भी चीज गर्म करके ठण्डा करते हैं तो उसकी गर्मी बाहर जाती है जो कि बाहर की वायु को गर्म करती है। इसके लिये हमने ऐसी नई टेक्नोलोजी लगाई है जिसके तहत कोयलेको गर्म करके ठण्डा करते हैं तो जो ऊष्मा निकलती है उसका उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। इसके तहत अभी हम व्यर्थ ऊष्मा, व्यर्थ दबाव और व्यर्थ गैस की पुनः प्राप्ति करते हुए 53% बिजली उत्पादन कर रहे हैं जिसका विस्तार होने पर बिजली उत्पादन 62% हो जायेगा। इस बिजली बनाने में एक टन कोयला भी नहीं जलाया जाता है। हमारी प्रचालन दक्षता का विवरण इस प्रकार है:–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

2

- व्यर्थ उष्मा, व्यर्थ दबाव और व्यर्थ गैस की पुनःप्राप्ति करते हुये व्यर्थ ऊर्जा प्राप्त करने में उच्चतम
- व्यर्थ उष्मा और उच्च दबाव प्राप्त करते हुये उच्चतम स्तर का बिजली उत्पादन
  - ➢ वर्तमान में 53%, विस्तारण के पश्चात 62%
- इस्पात उद्योग में निम्नतम विनिर्दिष्ट जल खपत
  - ➢ रू0 100 करोड़ निवेश के साथ "शून्य बहिस्त्राव" की तरफ प्रयासरत
  - ➢ पर्यावरण अनुपालन करने वाली कम्पनी
  - ➢ प्रदूषण नियंत्रण के लिये निवेश
    - ❖ 3एम.टी. चरण में रू0 466 करोड़
    - ❖ 6.3 एम.टी. चरण के वर्तमान विस्तारण के अधीन रू0 1263 करोड़ (कुल परियोजना लागत का 10.3%)

हम अपने विशाखापटनम संयंत्र में जिन चीजों का उत्पादन करते हैं, उनमें वायर रॉड, राउण्ड्स, रीबॉर्स, स्ट्रक्चरल्स, स्ट्रक्चरल्स आदि प्रमुख है। हमारे 3 खनन संयंत्र डोलोमाइट, लाईम स्टोन एवं मेंगनीज के अभी चल रहे हैं तथा आगामी 3 ईकाई और चलने वाली है जिनमें फोर्ज्ड व्हील संयंत्र रायबरेली (उत्तर प्रदेश), रेल एक्सिल संयंत्र न्यू जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) एवं राजस्थान में भीलवाड़ा खनन है।

आज बनेड़ा की प्रस्तावित लौह अयस्क परियोजना के बारे में हमारे मेकॉन के प्रतिनिधि श्री पलाश बनर्जी आपको प्रजेण्टेशन के माध्यम से विस्तार से अवगत करायेंगे-

<u>श्री पलाश बनर्जी, मेकॉन, द्वारा प्रस्तुत प्रजेण्टेशन के अंश:</u>

बनेड़ा परियोजना की नई खदान की उत्पादन क्षमता 20 लाख टन प्रति वर्ष लौह अयस्क की होगी, 20 लाख टन प्रति वर्ष क्रशिंग एवं बेनिफिकेशन की होगी एवं 5 लाख टन प्रति वर्ष पैलेट उत्पादन की होगी। इसका खनन पट्टा क्षेत्र 945.8575 हेक्टेयर वन भूमि रहित होगा। पट्टे का अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा आशय पत्र दिनांक 31.5.2013 से दिया गया है। खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो अजमेर से अनुमोदित है। इस पट्टे के अनुदान के लिये पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है। परियोजना की पर्यावरणीय स्थापना के तहत हम देखेंगे तो 10 किमी की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा नहीं है, 10 किमी की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्फीयर रिजर्व/टाईगर रिजर्व/हाथी रिजर्व भी नहीं है। 10 किमी की परिधि में कोई प्राकृतिक आपदा प्रवृत्त क्षेत्र भी नहीं है। 10 किमी की परिधि में कोई रक्षा स्थापना भी नहीं है। परियोजना के दक्षिण पश्चिम की ओर 5 किमी की दूरी पर कोठारी नदी है। खनन पट्टा क्षेत्र वन भूमि रहित है, 46 बीर रक्षी संरक्षित वन, अन्यआरक्षित एवं संरक्षित वन 10 किमी अध्ययन क्षेत्र में स्थित है। परियोजना के ब्लाक 2 से पूर्व की ओर 5 किमी की दूरी पर धुंवाला रेल्वे स्टेशन है। पट्टा क्षेत्र के ब्लॉक 3 एवं 4 से 100 मीटर

3

सैनीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) भीलवाड़ा

पूर्वोत्तर की दूरी पर राजमार्ग सं0 16 गुजरता है। परियोजना से उत्तर पूर्व की ओर 2 किमी की दूरी पर आबादी वाला शहर बनेड़ा एवं पश्चिम में 22 किमी की दूरी पर भीलवाड़ा नगर है।

बनेड़ा परियोजना के संक्षिप्त विवरण:

- पट्टा क्षेत्र 945.3575 भूमि पर होगा।
- 20 लाख टन प्रति वर्ष क्रशिंक एवं बेनेफीसीएसन, 6 लाख टन प्रति वर्ष पैलेट उत्पादन प्रस्तावित है।
- परियोजना के प्रथम चरण में 750 करोड़ रू0 का निवेश प्रस्तावित है।
- यहाँ पर भू वैज्ञानिक भण्डार 3040.373 लाख टन एवं खनन योग्य भण्डार 242.895 लाख टन है।
- कार्य प्रणाली यांत्रिक खुली खदान खनन प्रणाली रहेगी।
- खनिज प्रसंस्करण के तहत क्रशिंग, स्क्रीनिंग एवं ग्राइंडिंग करने के पश्चात मैग्नेटिक सेपरेसन और फिल्ट्रेसन किया जायेगा। प्रसंस्करित उत्पाद को पैल्लेट प्लाण्ट में उत्पादक सामग्री के रूप में किया जायेगा।
- परियोजना का कार्य काल 3 शिफ्ट प्रति दिन एवं 300 दिन प्रति वर्ष का होगा।
- खनिज परिवहन प्रत्येक ब्लॉक से अयस्क को ब्लॉक 2 (बेनिफिसिएशन एवं पैल्लेट प्लाण्ट) में 20 टन के ट्रक द्वारा ले जाया जायेगा।
- खदान की अवधि लगभग 16 वर्ष रहेगी जिसे आगे और बढ़ाई जा सकती है।
- इसमें 550 स्थाई एवं अनुबंधित कर्मचारियों के रोजगार के अवसर आने की सम्भावना रहेगी।

भूमि उन्नयन समुद्र तल से 538 मीटर अधिकतम एवं 420 मीटर न्यूनतम है। मौजूदा जमीन की समुद्र तल से ऊँचाई ब्लॉक 1 की 420–490 मीटर, ब्लॉक 2 की 450–529 मीटर, ब्लॉक 3 की 450–538 मीटर एवं ब्लॉक 4 की 430–450 मीटर रहेगी।

भूमि उपयोग के तहत सबसे पहले ब्लॉक 1 एवं 2 में खनन कार्य किया जायेगा तथा उसके बाद ब्लॉक सं0 3 एवं 4 में खनन कार्य होगा। ब्लॉक 4 में अपशिष्ट पदार्थों का भण्डारण किया जायेगा।

खनन प्रणाली के तहत पारंपरिक खुली खदान ड्रिलिंग एवं विस्फोटन, हाइड्रोलिक शॉवेल व डम्पर द्वारा इन टूटे हुये पत्थरों का दोहन किया जायेगा। खदान 4 गैर मेले हुये भौगोलिक टुकड़ों से बना हुआ है, ब्लॉक 1 एवं 2 में प्रथम 5 वर्षों में खनन कार्य होगा। 10 मीटर ऊँचा एवं 10 मीटर चौड़े बैंच के माध्यम से खनन होगा व कार्यों के दौरान बैंच की चौड़ाई 30 मीटरकी होगी। प्रत्येक टन अयस्क के लिये दो टन ओवर बर्डन को निकालना होगा जिसे स्ट्रिपिंग रेशियो कहाजाता है। ओवर बर्डन के ढ़ेर को सतह के उपर रखा जायेगा। ब्लॉक 1 4

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) भीलवाड़ा

एवं 2 के ओवर बर्डन को ब्लॉक 2 में रखा जायेगा तथा ब्लॉक 3 एवं 4 के ओवर बर्डन को ब्लॉक 4 में रखा जायेगा। अयस्क को (–)40 मीटर के आकार में क्रशर में तोड़ा जायेगा एवं टूटे हुये अयस्क को परिष्करण संयंत्र में भेजा जायेगा।

परियोजना के अन्तर्गत संसाधनों के तहत ईंधन (एचएसडी) 2760 किलो लीटर प्रति वर्ष, ईंधन (एलएसएचएस) 11400 किलो लीटर प्रति वर्ष, विस्फोटक 750 टन प्रति वर्ष, [illegible] 560 प्रति वर्ष, पॉवर 11.24 एम.वी.ए.प्रति वर्ष एवं जल 7765 घन मीटर प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी।

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन और पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना

परियोजना के लिये 478.9657 हेक्टेयर भूमि निजी, 229.6321 हेक्टेयर भूमि सरकारी, 132.7365 हेक्टेयर भूमि चरागाह एवं 104.4732 हेक्टेयर अन्य भूमि होगी। इसप्रकार कुल भूमि 945.8575 हेक्टेयर काम में ली जायेगी। उक्त भूमि में से 544.030 हेक्टेयर भूमि खनन के लिये, 180.8400 हेक्टेयर भूमि अपशिष्ट भण्डारण के लिये, 118.060 हेक्टेयर भूमि आधारभूत संरचना के लिये, 20.0200 हेक्टेयर भूमि टैलिंग भण्डारण के लिये, 16.8700 हेक्टेयर भूमि सड़क के लिये, 34.2400 हेक्टेयर भूमि जल रिजर्वायर के लिये, 3.6975 हेक्टेयर भूमि ग्रीन बेल्ट/वृक्षारोपण के लिये एवं 27.3000 हेक्टेयर भूमि संरक्षित क्षेत्र के लिये उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार खनन के लिये उपयोगित कुल भूमि में से 749.3875 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के काम आयेगी, 34.24 हेक्टेयर भूमि जलाशय के काम आयेगी, 134.93 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम आयेगी तथा 27.30 हेक्टेयर भूमि अबाधित क्षेत्र के रूप में काम में ली जायेगी।

जल गुणवत्ता की दृष्टि से हमने क्षेत्र की कोठारी नदी एवं बनेड़ा तालाब के सतही जल की गुणवत्ता की जाँच करवाई है जो कि सिंचाई, आउटडोर स्नान के उद्देश्य के लिये अच्छा है तथा पारम्परिक उपचार और कीटाणुशोधन के द्वारा पीने के पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सुल्तानगढ़, मानपुरा, किशनपुरिया एवं कमालपुरा के भूमिगत जल के नमूनों का विश्लेषण करने पर जल की गुणवत्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानक के अनुरूप पाई गयी है।

जलापूर्ति एवं जल संरक्षण के उपाय के तहत हमें कुल 7765 घन मीटर अधिकतम एवं 6146 घन मीटर औसत प्रतिदिन औद्योगिक जलापूर्ति की आवश्यकता होगी। उक्त औद्योगिक जल की माँग की आपूर्ति के लिये भीलवाड़ा शहर में 8000 घन मीटर का सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। 25 घन मीटर पीने योग्य पानी खनन क्षेत्र में पीने और घरेलू आशय के लिये किया जायेगा। इसके अलावा ब्लाक 2 के तराई क्षेत्र को जलाशय के रूप में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशा) भीलवाड़ा

वर्षा जल को संग्रह करने के लिये निर्धारित किया गया है और पाईप लाईन के माध्यम से आ रहे अतिशेष एसटीपी पानी को औद्योगिक उपयोग के लिये आवश्यता के अनुसार किया जायेगा।

परिक्षेत्रीय वायु गुणवत्ता के तहत हमने 11 स्टेशन बनाये हैं जिनमें से चतनपुरा, माण्डल एवं पाथरा को छोड़कर सभी का परिणाम ठीक आया है। पाथरा स्टेशन रेल्वे लाईन के पास है जहाँ भारी माल वाहक बड़ी मात्रा में चलती है और पाथरा गाँव में सड़क का निर्माण भी हो रहा है। इसी तरह माण्डल राज्य मार्ग सं0 61 के पास है।

वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के तहत हम देखेंगे तो प्रदूषण के मुख्य स्रोत खनन गतिविधियों से धूल उत्सर्जन के तहत ड्रिलिंग, वाहन के पहिये से उत्पन्न धूल एवं अपशिष्टपदार्थ और अयस्क की डंपिंग से होता है। खनन प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण में अनुमानित वृद्धि खनन एवं पेल्लेट संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की अधिकतमएकाग्रता 35 माईक्रो ग्राम, ब्लॉक 2 के अन्दर स्थित एरिया नं0 2 डंपिंग यार्ड के पास होने की सम्भावना है। उपरोक्त प्रदूषण स्तर, वायु प्रदूषण के उपायों के बिना अनुमान लगाया गया है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के पश्चात् प्रदूषण और कम होने की सम्भावना है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत हमारे द्वारा कच्ची सड़कों को समतल किया जायेगा और पानी का छिड़काव भी बराबर करवाया जायेगा। चरणबद्ध पौधीकरण और ग्रीन बेल्ट डवलपमेन्ट से वायु प्रदूषण को कम किया जायेगा। क्रशर और स्क्रीन पर धूल निष्कर्षण और निस्पंदन सिस्टम स्थापित किया जायेगा। सामग्री हस्तान्तरण बिन्दुओं पर ड्राई फॉग टाईप डस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाया जायेगा। 85 मीटर ऊंची चिमनी लगाने का भी प्रस्ताव है जिससे प्रदूषण का पर्याप्त फैलाव हो सकेगा।

ध्वनि निगरानी के लिये भी हमारे द्वारा 11 केन्द्र स्थापित कर वहाँ ध्वनि की जाँच की गयी है जिसके तहत दिन के समय ध्वनि का स्तर 39.6–56.6 डीबी–ए पाया गया तथा रात के समय ध्वनि का स्तर 35.2–49.3 डीबी–ए पाया गया।

ध्वनि नियंत्रण के लिये हमारे द्वारा डीजल चालित मशीनों का सुदृढ़ रख-रखाव किया जायेगा। स्टैटिक मशीनरी को कम्पन रहित आईसोलेटरों पर रखा जायेगा। ड्रिल मशीन ऑपरेटर एवं डम्पर चालकों को इअर प्लग और इअर मफ जारी किये जायेंगे। ब्लॉस्टिंग केवल दिन के समय में एक बार ही किया जायेगा। शोर कम करने के लिये ग्रीन बेल्ट विकसित की जायेगी। क्रशर हाउस को स्वतंत्र ब्लॉक में रखा जायेगा एवं स्क्रीन्स को बहुभागी पेचदार स्प्रिंग इकाईयों में रखा जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

6

<u>जैविक पर्यावरण</u> के तहत खनन क्षेत्र वन भूमि रहित है। 10 किमी बफर जोन में पहाड़ियाँ, शुष्क कृषि भूमि, परती/बंजर भूमि, पथरीली बंजर भूमि, ग्रामीण एवं शहरी इलाके एवं वनभूमि सम्मिलित है। कम/अनियमित बारिश और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण अधिकांश कृषि भूमि गैरमानसून अवधि के दौरान परती बनी रहती है। खनन पट्टे के 811 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे द्वारा लगभग 5 लाख पौधों का बृहत वृक्षारोपण किया जायेगा।

<u>व्यावसायिक स्वास्थ्य</u> व्यावसायिक सुरक्षा के निवारक उपाय के तहत खान में एक समर्पित सुरक्षा विभाग होगा जो एक सुरक्षा अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन होगा। प्रबन्धक खान की अध्यक्षता में एक खान सुरक्षा समिति का गठन किया जायेगा। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण खान के सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। सभी नव नियुक्तों को खानों में तैनात किये जाने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। खान सुरक्षा महा निदेशक द्वारा जारी नियम और सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। कार्मिकों को काम करने के लिये निजी सुरक्षा उपकरण यथा हेलमेट, सुरक्षा जूते, इयर प्लग, इयर मफ्स, डस्ट मास्क आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। खतरा आंकलन एवं सुरक्षा परीक्षण द्वारा खतरों की पहचान और नियंत्रण के उपाय निर्धारित किये जाते हैं। साथ ही पिछले आंकलन सत्रों से खतरा नियंत्रण के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित आधार पर किया जायेगा। विस्फोटक भण्डार गृह का निर्माण विस्फोटक विभाग के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

हमारे द्वारा पर्यावरणीय निगरानी केन्द्र का भी गठन किया जायेगा। जिसके तहत मौसम विज्ञान के माध्यम से अविराम परिवेशी वायु तापमान एवं वर्षा की निगरानी की जायेगी। परिवेशी वायु गुणवत्ता के माध्यम से त्रैमासिक तौर पर गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी। जल गुणवत्ता के तहत भूजल एवं प्रवाह जल की गुणवत्ता की त्रैमासिक निगरानी की जायेगी। इसी तरह ध्वनि का स्तर के माध्यम से भी परिवेशी एवं कार्यक्षेत्र की ध्वनि की त्रैमासिक तौर पर निगरानी की जायेगी।

बनेड़ा परियोजना के प्रत्याशित विस्तारीकरण की भी सम्भावना है। जिसके तहत उपयुक्त गुणवत्ता और समुचित मात्रा का लौह अयस्क उपलब्ध होने पर संयंत्र की उत्पादन क्षमता 20 लाख टन पैलेट तक बढ़ाई जायेगी और तब कर्मचारियों की कुल संख्या 1500 होने की भी सम्भावना है। परियोजना के द्वितीय चरण में 1750 करोड़ रू0 के निवेश की सम्भावना है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित निवेश 2500 करोड़ रू0 हो जायेगा। तदनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 विस्तार हेतु सभी वैधानिक अनुमति प्राप्त करेगा। आर.आई.एन.एल की आगे की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जिला मजिस्ट्रेट

7

सी.एस.आर. की गतिविधियाँ बताने के लिये मैं श्री अशोक कुमार मखीजा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे की कार्यवाही बतावें।

श्री अशोक कुमार मखीजा ने बताया कि आरआईएनएल द्वारा नियमित सामाजिक दायित्व के कार्य भी करवाये जाते हैं। जिसमें मुख्यतः बुनियादी ढाँचे का विकास एवं समुदायों का सशक्तीकरण होता है। आर.आई.एन.एल. ने पिछले वर्षों में सीएसआर के अन्तर्गत कार्यक्रमों में लगभग 5करोड़ रु0 खर्च किये है। इसी तरह आर.आई.एन.एल द्वारा बनेड़ा परियोजना में भी दृढ़ रूप से नियमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत गतिविधियों का परिचालन किया जायेगा।

आर.आई.एन.एल द्वारा गत दिनों जगपुरा लाईम स्टोन माईंस के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की स्कूलों के लिये फर्नीचर, कम्प्यूटर और अन्य आईटम उपलब्ध कराये गये है, महिलाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं, बहुउद्देशीय भवन का निर्माण करवाया गया है। मादाग्राम डोलोमाईट माईंस के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल विकास के लिये फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई गयी है, स्कूल में क्लास रूम का निर्माण करवाया गया है, सड़कों एवं बस स्टॉप का निर्माण करवाया गया है तथा समीपवर्ती क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी करवाया गया है। परियोजना के आस-पास के क्षेत्र में हमारे द्वारा कई सीएसआर के कार्य करवाये जाते हैं जिसके तहत हमारे द्वारा कुल 12 करोड़ रु0 से ज्यादा(2014-15)के कार्य करवाये गये हैं। हमारे द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिये एक मोबाईल वेन भी उपलब्ध करवाई गयी है जो कि आस-पास के गाँवों में जाकर लोगों को चिकित्सालय तक लाकर उनको चैक करवाकर उनका उपचार करवाती है।

पुनर्विस्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हमने गाँव के नाम के साथ 323 परिवारों की संख्या दी है जिनकी भूमि अवाप्ति पर इनको दूसरी जगह पर बसाया जायेगा। इसके तहत 356.93 हेक्टेयर खातेदारी भूमि एवं मकान व सामुदायिक की 4.88 हेक्टेयर भूमि कुल मिलाकर 361.81 हेक्टेयर भूमि होती है। हमारे द्वारा जो खर्चा बताया गया है उसमें एक अनुमान लगाया गया है कि जमीन की कितनी कीमत आयेगी। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि वास्तव में जब जमीन लेने का कार्यक्रम आयेगा तब इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन एवं जो भी हमारे जिले के विभाग है, उनके द्वारा जमीन की जो भी कीमत बताई जायेगी, उसी अनुसार हम भुगतान की कार्यवाही करेंगे। इसके बाद भी यदि किसी को कोई शिकायत होगी तो आपसे बातचीत करने के बाद ही उनका निराकरण किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा

8

हमारे द्वारा पुनर्विस्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत एक संगठनात्मक संरचना बनाई गयी है जिसके अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थान भी रहेंगे। यदि कोई शिकायत आयेगी तो उसे परियोजना स्तरीय समिति के पास एवं पुनर्विस्थापन व पुनर्वास कार्यान्वयन समिति के पास होते हुये शिकायत निवारण समिति के पास भिजवाई जायेगी जहाँ पर सम्बन्धित से बातचीत कर उसका समाधान किया जायेगा।

धन्यवाद।

तत्पश्चात् जनसुनवाई कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता ने परियोजना के बारे में विस्तार से बताने के लिये श्री मखीजा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया कि वे एक–एक करके मंच पर आयें और पहले अपना नाम, पता, गाँव का नाम बताते हुये यदि परियोजना के बारे में अपने कोई सुझाव या आक्षेप हो तो लिखित या मौखिक में बतावें, जिसे आज के कार्यवाही विवरण में सम्मिलित करते हुये आगे उच्चाधिकारियों को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जायेगा। उपस्थित जन समूह द्वारा दिये गये सुझावों का विवरण इस प्रकार है:-

1. **श्री देवेन्द्र देराश्रीः सचिव, पानी वाले एनजीओ, बनेड़ा**

   श्री देवेन्द्र देरा श्री, सचिव, पानी वाले एनजीओ, बनेड़ा ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की जनता का स्वागत करते हुये राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० द्वारा बनेड़ा क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्र की उपयोगिता एवं इसके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को मिलने वाले रोजगार आदि के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आर.आई.एन.एल द्वारा जिन गाँवों की भूमि अवाप्ति करना बताया गया है, उसमें छोटे–छोटे मजरों का उल्लेख नहीं है। साथ ही जो 323 मकान प्रभावित होंगे उनका विवरण नहीं दिया गया है कि ये कितने मकान किस–किस गाँव के प्रभावित होंगे जबकि इसकी पूरी सूची जारी करते हुये उनके पास जाकर उनसे विस्तार से चर्चा करनी चाहिये थी। कम्पनी द्वारा जो मुआवजे के लिये बजट प्रावधान किया गया है, वह भी बहुत कम है, क्योंकि हर गाँव के मुआवजे की दर अलग–अलग है इसलिये बजट प्रावधान को रिवाईज करके दुबारा सरकार को भिजवाया जाना चाहिये। यदि समय पर बजट प्रावधान नहीं किया गया तो लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पायेगा। कम्पनी द्वारा जो 4 ब्लॉक बनाये गये है, क्या चारों ब्लॉक की भूमि एक साथ अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जायेगा या अलग–अलग समय में अधिग्रहित की जायेगी। कम्पनी द्वारा जिन 550 लोगों को रोजगार दिया जायेगा, उसमें स्थानीय लोगों की संख्या काफी कम होगी, जिसे बढ़ाया जाना चाहिये। फिलहाल चूंकि इस क्षेत्र में तकनिकी प्रशिक्षित लोगों की कमी है और कम्पनी का कार्य भी लगभग दो वर्ष बाद ही प्रारम्भ हो पायेगा इसलिये कम्पनी को अपनी

क्षेत्रीय अधिकारी

(शहर) भीलवाड़ा

आवश्यकतानुसार विभिन्न ट्रेड प्रारम्भ कर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य करना चाहिये ताकि स्थानीय लोगो को रोजगार मिल सके और कोई जनाक्रोश पैदा न हो। कम्पनी द्वारा अपने खनन कार्य में 7.6 एमएलडी पानी की आवश्यकता बताई गयी है जो कि सीवरेज भीलवाड़ा से लिया जायेगा लेकिन मेरे हिसाब से यह बहुत कम है, क्योंकि भीलवाड़ा के सीवरेज के पानी का पहले से ही जिंदल ने एमओयू कर रखा है जो कि उनके लिये ही कम पड़ता है इसलिये इस कम्पनी को कितना पानी कैसे मिल पायेगा, यह सोचनीय है। कम्पनी को पानी के उपयोग के लिये इस क्षेत्र में एक भी नलकूप खोदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कम्पनी द्वारा क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता बनाये रखने की बात कही गयी है जो कि सिर्फ कहने तक ही सिमित है, कोई भी कम्पनी वाला इसका ध्यान नहीं रखता है। चूंकि कम्पनी के खनन कार्य से क्षेत्र का भूमिगत जल भी दूषित होगा इसलिये क्षेत्र के कुछ एनजीओ का चयन कर उनके माध्यम से क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच करवाई जानी चाहिये। इसके लिये बजट प्रावधान भी अभी से रखा जाना चाहिये। कम्पनी के खनन कार्य से क्षेत्र के नदी, नालों की वर्तमान स्थिति में कोई हानि/क्षति नहीं होनी चाहिये। साथ ही कम्पनी को क्षेत्र के भूमिगत जल में बढ़ोतरी के लिये अभी से बजट का प्रावधान कर कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये। कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा धूल के कणों को सरफेस करने की बात कही गयी है, जो कि सम्भव नहीं है। कम्पनी की चिमनी से निकलने वाला धुंआ 4 किमी के एरिये में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है जिसकी वजह से पेड़-पौधों एवं फसलों के पत्तों पर धूल जमा होगी जिससे फसल की पैदावार भी कम होकर प्रभावित होगी और काश्तकार की कमर टूट जायेगी। इसकी वजह से पूरा बनेड़ा तहसील क्षेत्र चपेट में आयेगा, क्योंकि हवा चलने का रूख बनेड़ा की तरफ है। इसकी वजह से क्षेत्र के मंदिर, मस्जिद, पीर बावजी की दरगाह, महल, कुए, बावड़ियों, स्मारक आदि धरोहरों को भी विस्फोट के धमाकों से नुकसान पहुँचेगा, इनमें दरार आयेगी जिसकी साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिये कम्पनी को बजट प्रावधान करते हुये एक टीम लगानी पड़ेगी। बनेड़ा क्षेत्र के 7 प्रभावित ग्रामों के लोगों द्वारा चारागाह भूमि में अपने मवेशी भेड़, बकरियाँ चराई जाती है जिसे कम्पनी का खनन कार्य आरम्भ होने पर कम्पनी द्वारा प्रवेश करने से रोक दिया जायेगा तो फिर वे अपने मवेशियों को कहाँ पर चराने जायेंगे। अतः इसके लिये भी कम्पनी को अभी से अपने बजट में प्रावधान रखते हुऐ चारागाह विकसित किया जाना चाहिये तथा पशुओं के खाने वाले पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाये जाने चाहिये व चराई क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिये। कम्पनी के खनन कार्य, धमाका, आवाज एवं ध्वनि की वजह से क्षेत्र के जंगली जानवर पशु-पक्षियों को भी नुकसान होगा। कम्पनी द्वारा इन्हें कैसे विस्थापित किया जायेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सामाजिक दायित्व के कार्यों में सिर्फ स्कूल भवन बनाने एवं कम्प्यूटर दिये जाने से काम चलने वाला नहीं है बल्कि क्षेत्र की पिछड़ी जातियाँ रंगरेज, सिलावट, मोची, दर्जी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा

आदि) जिनके धंधे पिछड़ गये हैं उन जातियों का एनजीओ से सर्वे करवाकर उनके उत्थान के लिये कोई कार्य हाथ में लेकर बजट प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि पुराने आजीविका के साधन विकसित किये जा सके।

2. श्री पारसमल गोगरा, भीलवाड़ा

श्री पारसमल गोगरा ने कहा कि विकास के पीछे क्षेत्र का विनाश नहीं होना चाहिये। क्योंकि जिंदल द्वारा भी बड़े--बड़े वादे करके क्षेत्र की जनता को आश्वासित किया गया था लेकिन कुछ भी सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है। हमारी मॉंग है कि चारागाह की एवज में कम्पनी को क्षेत्र में चारागाह विकसित किया जाना चाहिये। बड़े मवेशी को चारे के लिये 200.00 रू० एवं छोटे मवेशियों को 50 से 100.00 रू० की दर तय कर क्षेत्र के मवेशियों का सर्वे करवाकर उनके चारे के मुआवजे का प्रावधान कर पशु पालकों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। अतः कम्पनी के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि किसी भी ग्रामवासी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये तथा अब्दुल रहमान के फैसले के अनुसार क्षेत्र के नदी–नालों को अवरूद्ध नहीं कर यथास्थिति कायम रखने के प्रयास किये जाने चाहिये। कम्पनी द्वारा ठेका प्रथा से कार्य करवाया जाता है जिसके तहत श्रमिकों को कम से कम 15000.00 रू० प्रति माह वेतन दिया जाना चाहिये। किसी भी हालत में इससे कम रेट नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही जिन लोगों के मकान एवं खेती की जमीन अधिग्रहित की जाती है, उन्हें बाजार दर से पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये। कम्पनी द्वारा बताया गया है कि जॉंच के दौरान 100 ग्राम पत्थर में 32 प्रतिशत लौहा है लेकिन शेष 68 प्रतिशत में क्या क्या चीज है, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिये। साथ ही विस्थापितों के लिये पहले मकान बनाकर उन्हें विस्थापित करने के बाद ही उन्हें बेघर किया जाना चाहिये। सभी प्रभावित गॉंवों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जिनसे विचार–विमर्श के बाद ही क्षेत्र की मॉंग एवं आवश्यकतानुसार कार्य करवाये एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये। किसी भी हालत में काश्तकारों के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिये बल्कि स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से पूरा रोजगार मिलना चाहिये। भूमि अधिग्रहण के लिये गठित की जाने वाली 4 सदस्यों की कमेटी में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को नहीं रखकर सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं को लिया जाना चाहिये जो कि क्षेत्र के विकास के लिये समय–समय पर प्रस्ताव देते रहें। उक्त कमेटी क्षेत्र के खनन कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण कर उनमें जो अनियमिततायें पाई जाती है उन्हें रोकने के तथा अवैध खनन को रोकने के प्रयास करें एवं स्थानीय लोगों का भला करें। प्रशासन एवं सम्बन्धित विभाग भी कोई शिकायत मिलने पर उसे जॉंच में नहीं डालें बल्कि उसका वास्तव में समाधान करने का प्रयास करें और पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करें। कम्पनी वाले भी यदि पारदर्शिता के साथ कार्य करें तो कार्य अच्छा होगा। तथा जनता का आक्रोश भी नहीं

11

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) भीलवाड़ा

होगा। लोगों को अपने मकानों एवं जमीनों का पूरा मुआवजा मिलने के बाद अधिग्रहित कर प्रभावित लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये। पर्यावरण के लिये हर कम्पनी द्वारा हर साल लाखों पौधे लगाये जाते हैं लेकिन कितने पौधे जीवित रह पाते हैं, यह सभी को पता है। अतः इनको जीवित रखने के प्रति भी कम्पनी को सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिये। आईबीएम की स्वीकृति नहीं होने पर किसी भी कम्पनी को खनन पट्टा जारी नहीं होना चाहिये लेकिन हो जाता है जो कि गलत परम्परा है।
श्री अशोककुमार नकीजा, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 ने आश्वासन दिया कि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे के लिये दिये गये सुझाव अनुसार कमेटी का गठन कर कार्यवाही की जावेगी तथा चारागाह डवलप के लिये भी कम्पनी के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कोई निर्णय लिया जायेगा। सभी कार्य में पूरी पारदर्शिता अपनाई जावेगी। पानी के लिये भी चम्बल परियोजना के अधिकारियों से वार्ता कर उनके चाहे अनुसार प्रस्ताव/एस्टीमेट प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. श्री गोपालचरण सिसोदिया, बनेड़ा
श्री गोपालचरण सिसोदिया ने कि बनेड़ा एवं उसके आस-पास के क्षैत्र की जनता पिछले काफी समय से पीने के पानी की समस्या से पीड़ित है तथा जलदोहन भी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से क्षैत्र की फसलें भी बिगड़ रही है' आरआईएनएल कम्पनी द्वारा नलकूपों से पानी लिया जाता है तो क्षैत्र के जलस्रोत बिल्कुल सूख जायेंगे। कम्पनी द्वारा जो टेलिंग पोण्ड का निर्माण करवाया जायेगा, उसमें खनन का सारा अपशिष्ट पानी इकट्ठा होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक पानी है एवं इसमें बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं। अतः टेलिंग पोण्ड के निर्माण से पूर्व आरआईएनएल के अधिकारियों को हिन्दुस्तान जिंक के देबारी प्लाण्ट का निरीक्षण कर उसके अनुरूप ही निर्माण कार्य करवाया जाना चाहिये। उक्त टेलिंग पोण्ड के निर्माण के दौरान उसके आस-पास के 50 मीटर के दायरे में सीमेण्ट-कंकरीट डाली जानी चाहिये ताकि इस पानी का रिसाव होने से क्षैत्र का भूमिगत जल दूषित नहीं होने पावे। कुल मिलाकर दूषित पानी को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही कर उचित कदम उठाये जाने चाहिये। कम्पनी द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जावेगी, वे बिल्कुल अनपढ़ है, गाय-बकरी चराने वाले हैं इसलिये यदि उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा देकर छोड़ देंगे तो फिर वे कहाँ जायेंगे। ऐसे लोगों के रोजगार के बारे में कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गयी है। कम्पनी के खनन कार्य से क्षैत्र के लगभग 350 परिवारों के 5 व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से 1750 व्यक्ति प्रभावित होंगे, जो कि मुआवजे के बाद कहां जायेंगे एवं क्या करेंगे। मौसम भी क्षैत्र की जनता के साथ बराबर खिलवाड़ कर रहा है इसलिये क्षैत्र के कई किसान डेयरी पालन कर जीविकोपार्जन करता है लेकिन यदि किसान की जमीन खनन कार्य में अवाप्त कर ली जायेगी तो वे अपने मवेशियों को कहाँ पर चरायेंगे, अतः चारागाह विकसित करने

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा

के प्रावधान किये जाने चाहिये। बनेड़ा क्षेत्र में अभी से एक स्कील डवलपमेन्ट सेण्टर खोला जाना चाहिये जिसके माध्यम से खनन क्षेत्र में जिस तरह के भी कार्मिकों / श्रमिकों की आवश्यकता होगी, उन ट्रेड में क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये ताकि आने वाले 2 साल में जब कम्पनी को कार्मिकों / श्रमिकों की आवश्यकता हो तब तक स्थानीय युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार पाने के लिये तैयार रह सकें। तकनिकी श्रेणी के उच्च पदों पर भी यदि स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं तो आस–पास के या जिले के लोगों को मौका दिया जाना चाहिये। खनन क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्र के जिन लोगों के पास खनन उपकरण / मशीनें उपलब्ध है, उन्हें प्राथमिकता के साथ अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। हम कम्पनी के कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं ताकि विकास रथ सतत चलता रहे। विस्थापित लोगों को पुनर्वास एवं मुआवजे की राशि भूमि अधिग्रहण के नये कानून 2014 के तहत मिलनी चाहिये। इसमें या तो डीएलसी दर या प्रचलित बाजार दर जो भी ज्यादा हो, वह काश्तकार को मिलनी चाहिये। प्रभावित गाँवों में लगभग 250 वर्ष पुराने महल, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कुए, बावड़ियाँ मौजूद है जिनके वर्तमान स्वरुप में ब्लास्टिंग से असर आयेगा। चूंकि बनेड़ा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही जल्द विकसित होने जा रहा है इसलिये इन पुरानी धरोहरों के बचाव, रख–रखाव एवं संरक्षण के लिये उचित बजट प्रावधान कम्पनी को करना चाहिये। खनन कार्य चालू होने के बाद क्षेत्र का पर्यावरण भी बहुत ही भयानक होने वाला है इसलिये कम्पनी के प्रतिनिधियों को अभी से क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये वादा करके जनता को विश्वास में लेना चाहिये। क्षेत्र के जिन लोगों के मकान एवं कृषि भूमि कम्पनी द्वारा अधिग्रहित की जायेगी, उनका कहीं पर भी कोई नाम–पते का उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी वजह से जनता में आक्रोश व्याप्त है, अतः इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

श्री अशोककुमार मखीजा, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि० ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों के मकान एवं भूमि कम्पनी द्वारा अधिग्रहित की जायेगी, उसके बारे में दीपावली के बाद दिनांक 15.11.2015 से प्रत्येक गाँव के प्रत्येक प्रभावित लोगों से वहाँ के सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधि के साथ सम्पर्क कर उन्हें पूरी जानकारी दी जायेगी। स्कील डवलपमेण्ट के लिये भी उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री पलाश बनर्जी, मेकॉन ने बतायाकि कम्पनी द्वारा पीने के पानी के अलावा भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया जायेगा तथाजीरो डिस्चार्ज सिस्टम का पूरा पालन किया जायेगा। साथ ही टेलिंग पोण्ड के निर्माण के दौरान उसके आस–पास के 50 मीटर के दायरे में सीमेन्ट–कंक्रीट का पूरा उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

13

4. श्री नरेन्द्रसिंह कानावत, किशनपुरिया

श्री नरेन्द्रसिंह ने कहा कि आरआईएनएल का प्लाण्ट स्थापित होने से आस–पास की जनता को जो जिन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में कम्पनी के अधिकारियों को क्षेत्र की जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिये। कम्पनी द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो 7.6 एमएलडी पानी का उपयोग किया जायेगा वह पूरा सीवरेज से प्राप्त होगा, भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया जायेगा, जो कि सम्भव नहीं है। यदि कम्पनी को इसके अलावा भी पानी की आवश्यकता होगी तो बाहर से लाना होगा, हम भूमिगत जल का दोहन नहीं होने देंगे। कम्पनी द्वारा जो जमीन अधिग्रहित की जायेगी, लोगों से कितनी-कितनी जमीन किस–किस उपयोग में ली जायेगी, इसका स्पष्ट खुलासा करना चाहिये। कम्पनी द्वारा जो राशि सामाजिक दायित्व के कार्यों में खर्च की जायेगी, उसे और बढ़ाया जाकर कुल बजट प्रावधान की 5 प्रतिशत राशि सामाजिक दायित्व के कार्यों के लिये आरक्षित रखी जानी चाहिये। क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने के लिये कम्पनी को लेटेस्ट तकनिक की मशीनों का उपयोग करना चाहिये जैसाकि बाहरी देशों में किया जाता है। विस्थापितों के लिये जो कालोनी बनाई जावे, उसमें सभी आधुनिकतम सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिये। ग्रीन बेल्ट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिये। अभी ग्राम धूलखेड़ा के निवासी जिंदल के खनन कार्य की वजह से पर्यावरण प्रदूषण से बहुत परेशान है इसलिये यहाँ के आस-पास के निवासियों को ऐसी समस्या नहीं आये, इसके लिये अभी से बजट प्रावधान कर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जाने चाहिये। कम्पनी द्वारा अपनी रिपोर्ट/प्लान अंग्रेजी में छपवाया एवं प्रकाशित किया जाता है जिसे हिन्दी में छपवाकर प्रकाशित किया जाना चाहिये। क्षेत्र के सातों प्रभावित गाँवों में लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की है, जो कि पढ़े–लिखे नहीं है, अतः इन लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिये। कम्पनी वाले किसी भी ग्राम के सरपंच पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहें बल्कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक कमेटी का गठन कर उसके द्वारा बताये गये सुझाव अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रभावित सातों गाँवों के कितने लोगों को किस तरह का रोजगार दिया जायेगा, इसके लिये गम्भीरतापूर्वक सर्वे करवाया जाकर अपने प्लान में उल्लेख करते हुये उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाना चाहिये। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा आज जो जन सुनवाई आयोजित की गयी है, उसके लिये सभी प्रभावित गाँव वालों को समय से पूर्व सूचित किया जाना चाहिये था तथा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की जानी चाहिये थी, जो कि नहीं की गयी है। कम्पनी को टर्म ऑफ रन की शर्तों की पालना करनी चाहिये। कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, इसके लिये जन सुनवाई से पूर्व एक्शन प्लान बनाकर प्रस्तुत करना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया है। कम्पनी को पेड़-पौधे लगाने के प्रति पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि फोरलेन पर जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक एक भी पेड़ नहीं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा

लगाया गया है जबकि पेड़ों की नली देते समय पेड़ लगाने के बड़े बड़े वादे किये गये थे। टेलिंग पौण्ड के लिये गम्भीरतापूर्वक कार्य करें ताकि दूषित पानी से किसानों के खेत एवं कुए प्रभावित नहीं होने पाये। विस्थापितों को मुआवजा देने में नये नियमों की पालना की जानी चाहिये तथा डीएलसी दर या प्रचलित बाजार दर जो भी ज्यादा हो, उस अनुसार मुआवजा मिलना चाहिये। अधिग्रहित जमीन का हर साल के हिसाब से किराया दिया जाना चाहिये तथा प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को कम्पनी में रोजगार दिया जाना चाहिये। प्रभावित परिवार को एकमुश्त ग्राण्ट दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। कम्पनी द्वारा अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया गया है उसका मकान या खेत अधिग्रहित किया जायेगा जिसकी वजह से अभी तक भी लोगों द्वारा अपने मकान एवं खेतो पर निर्माण कार्य या अन्य विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। जिन लोगों के घरों एवं खेतों में वर्तमान में जो–जो सुविधायें/साधन/संसाधन/उपकरण उपलब्ध हैं, उनको उसी अनुसार पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये। कम्पनी को क्षैत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये ताकि जनाक्रोश नहीं पनपे। चमनपुरा, बबराना, कनेड़ा, सालरिया एवं डरणा में से कितने गाँवों की एनओसी जारी हो चुकी है और किस गाँव की एनओसी किस वजह से नहीं मिल सकी है। कम्पनी के ब्लॉक सं0 3 एवं 4 के लिये पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की जायेगी अथवा नहीं।

श्री पलाश बनर्जी, मेकॉन ने बताया कि कम्पनी के चारों ब्लॉक मिलाकर एक ही प्रोजेक्ट है, पहले ब्लॉक नं0 1 एवं 2 में खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा चारों ब्लॉक की भूमि का अधिग्रहण एक साथ ही किया जायेगा।

श्री अशोककुमार मखीजा, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि0 ने बताया कि ग्राम पंचायत बरण द्वारा अभी तक एनओसी जारी नहीं की गयी है बाकी सभी की एनओसी प्राप्त हो चुकी है।

5. श्री समरवीरसिंह राणावत, उप सरपंच, सालरिया कलाँ

श्री समरवीरसिंह राणावत ने कहा कि कम्पनी वालों को क्षैत्र के विकास के लिये सबसे पहले केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जावे तथा प्रभावित सभी गांवों को गोद लेकर उनका समुचित विकास करवाया जावे। जिन लोगों की जमीन अवाप्त की जावे उनके बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थाई रोजगार मुहैया कराना चाहिये। इसके लिये कम्पनी के प्रतिनिधि को प्रत्येक ग्राम पंचायत को लिखित शपथ पत्र देना चाहिये कि उसके द्वारा ग्राम पंचायत के कितने लोगों को किस तरह का रोजगार दिया जायेगा। कम्पनी को क्षैत्र में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिये कम्पनी द्वारा जितने पेड़ काटे जायेंगे उतने ही या उससे अधिक

क्षेत्रीय अधिकारी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पेड़ वापस लगाने चाहिये तथा इसका लिखित शपथ पत्र भी सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देना चाहिये।

6. श्री ओंकारसिंह, पूर्व प्रधान, बनेड़ा:
श्री ओंकारसिंह, पूर्व प्रधान, बनेड़ा ने बताया कि बाहरी लोगों ने आकर बनेड़ा क्षेत्र के हालात खराब कर दिये हैं। अभी जिंदल खनन क्षेत्र में बाहरी लोग कार्य कर रहे हैं जबकि हमारी जमीन काम में भी आ रही है लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी प्रभावित परिवारों को कम्पनी में शेयर होल्डर बनाया जावे कम्पनी में उसकी पूरी सहभागिता होनी चाहिये ताकि वह सम्मानजनक तरीके से अपने परिवार का जीवनयापन कर सके। ग्राम पंचायत बनखाना, लखनपुरा, आतारिया, बनेड़ा एवं बरण के परिवारों को पहले रोजगार दिया जाना चाहिये उसके बाद ही क्षेत्र के अन्य लोगों को। जिन लोगों के मकान एवं जमीन अवाप्त की जा रही है, उन्हें उनकी सुविधानुसार पहले मकान बनाकर विस्थापित किया जाये, उसके बाद ही उन्हें बेदखल करना चाहिये। साथ ही जिन लोगों के मकान एवं जमीन कम्पनी द्वारा अवाप्त की जा रही है, उन लोगों को पहले से अवगत करवा देवें तो ठीक रहेगा।

7. श्री रतनसिंह पंवार, पूर्व सरपंच, बनेड़ा:
श्री रतनसिंह पंवार, पूर्व सरपंच बनेड़ा ने कहा कि प्रभावित सभी परिवारों को डीएलसी दर या बाजार प्रचलित दर जो भी ज्यादा हो, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिये। विस्थापितों को कहाँ पर विस्थापित किया जायेगा, यह स्पष्ट बताया जाना चाहिये। साथ ही क्षेत्र के मवेशियों के लिये क्या प्रावधान किया गया है, इसका भी पूरा उल्लेख किया जाना चाहिये।

8. श्री दयाराम दिव्य, बनेड़ा:
श्री दयाराम दिव्य ने कहा कि आरआईएनएल के अधिकारियों को स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने की लिखित में गारण्टी देनी चाहिये। दूषित पानी की समस्या यहाँ के लोगों के साथ नहीं आनी चाहिये। कम्पनी द्वारा खनन कार्य कितनी जमीन पर एवं कितनी गहराई तक किया जायेगा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिये। सबसे पहले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार की गारण्टी मिलनी चाहिये। धार्मिक मंदिर, मस्जिद, मजार आदि के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना से पहले स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लेना चाहिये, उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

श्री अशोककुमार मसीजा, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि० ने बताया कि कम्पनी द्वारा स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवश्यकतानुसार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जायेगा।

9. श्री गणपतलाल शर्मा ,बनेड़ा:

श्री गणपतलाल शर्मा ने कहा कि बनेड़ा रियासतकाल से ही अपनी अलग पहचान रखता है। रियासतकाल के दौरान उदयपुर के बाद बनेड़ा का नाम आता था। सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया जाना चाहिये तथा उनके द्वारा सुझाये अनुसार ही कम्पनी को क्षैत्र के विकास के कार्य किये जाने चाहिये। कम्पनी को क्षैत्र के लोगों को विभिन्न तरह के कोर्सेज चलाकर प्रशिक्षित करने का कार्य अभी से प्रारम्भ कर देना चाहिये ताकि वे समय पर रोजगार पा सके। जिन लोगों की जमीन अवाप्त की जा रही है, उन्हें कम्पनी में शेयर होल्डर बनाया जावे इसके लिये व्यापक प्रावधान किये जाने चाहिये।

10. श्री प्रभुलाल खटीक, जिला परिषद सदस्य:

श्री प्रभुलाल खटीक, जिला परिषद सदस्य ने कहा कि जिस तरह से क्षैत्र के चम्नापुरा एवं महुआखुर्द में जिंदल द्वारा घमासान मचा रखा है, वैसी स्थिति इस कम्पनी द्वारा पैदा नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि जिंदल द्वारा हमारे क्षैत्र में बाहरी लोगों से अतिक्रमण करवाकर अन्याय किया जा रहा है इसलिये आरआईएनएल कम्पनी द्वारा प्रभावित पांचों गांवों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिये। अतः कम्पनी द्वारा इस क्षैत्र के विकास की सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिये। अतः बाहरी व्यक्ति कम्पनी के कार्य में घुसपैठ नहीं करे तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करावें।

11. श्री गोपालसिंह नरूका, प्रेसीडेंट, भीलवाड़ा खनन व्यवसाय संघ :

श्री गोपालसिंह नरूका ने कहा कि क्या आरआईएनएल के अधिकारी लिखित में यह गारण्टी दे सकते हैं कि जिंदल के अधिकारियों ने इस क्षैत्र के लोगों साथ जो अन्याय किया है, वे ऐसा नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की गारण्टी दी जानी चाहिये। खनन कम्पनी द्वारा ओवर बर्डन जहाँ चाहे डाल दिया जाता है, जो कि गलत है, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही कार्य करना चाहिये। काला पानी प्रोसेस हाउस से तो निकलना बन्द नहीं हुआ है और जिंदल से भी निकलना प्रारम्भ हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, अतः इसके डिस्चार्ज की कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि भूमिगत जल दूषित न हो। स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता से रोजगार देना

17

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) भीलवाड़ा

चाहिये। कम्पनी द्वारा क्षैत्र में क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे, इसका स्पष्ट पत्र लिखकर ग्राम पंचायत को देना चाहिये।

12. श्री धन्नालाल माली, लाम्बिया:

श्री धन्नालाल माली ने कहा कि किसी भी काश्तकार द्वारा आरआईएनएल को अपने खनन कार्य के लिये कोई जमीन नहीं दी जायेगी। यदि कम्पनी वाले 50 लाख रू0 प्रति बीघा भी देने को तैयार हो तो भी कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन नहीं देगा, क्योंकि काश्तकारों ने अपनी जमीन पर कई सुविधायें पेड़-पौधे, नलकूप, कुए आदि विकसित कर रखे हैं। अतः कम्पनी को अपने कार्य के लिये चारागाह या वन भूमि अवाप्त करनी चाहिये।

13. श्री गोवर्धनसिंह राणावत, बनेड़ा:

श्री गोवर्धनसिंह राणावत ने कहा कि कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिये जाने की बात कही जा रही है, जो कि गलत है। कम्पनी वालों को स्थानीय लोगों को डायरेक्ट रोजगार देना चाहिये। किसी भी हालत में कम्पनी में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। काश्तकारों को उनकी जमीन का प्रचलित बाजार दर से पूरा मुआवजा देना होगा। यदि किसी काश्तकार की आधी जमीन जा रही हो तो भी उसे पूरी जमीन का मुआवजा मिलना चाहिये, क्योंकि वह बची हुई जमीन पर कैसे जायेगा। प्रभावित मकानों में वर्तमान में जो-जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उनकी गणना करके पूरा-पूरा मुआवजा मिलना चाहिये। यदि कम्पनी द्वारा केवल दो कमरों का घर बनाकर दिया जायेगा उसे लोग नहीं लेंगे। क्षैत्र के मंदिर-मस्जिद एवं मजारों की देख-रेख, सुरक्षा एवं रख-रखाव कम्पनी को करना होगा। साथ ही क्षैत्र के पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी कम्पनी को करना होगा।

14. श्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व-सरपंच, लाम्बिया:

श्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सरपंच लाम्बिया ने कहा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भी बात कही, मैं उन सभी को वापस नहीं दोहराकर सभी का अक्षरशः समर्थन करता हूँ। जिन लोगों की जमीन जा रही है, उन सभी को प्राथमिकता से रोजगार देना होगा तथा यदि किसी काश्तकार के 4 बेटे हैं तो चारों को नौकरी देनी होगी, सिर्फ एक व्यक्ति को नौकरी देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक को नौकरी देने पर बाकी व्यक्ति क्या करेंगे। जिन लोगों के मकान एवं जमीन अवाप्त की जा रही है, उनकी पूरी डिटेल देनी चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन) भीलवाड़ा

18

15. श्री दलपतसिंह, किशनपुरा:

श्री दलपतसिंह, किशनपुरा ने कहा कि जिन लोगों के मकान या जमीन जा रहे हैं, वह अभी तक स्पष्ट हो जाना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया है, यह गलत है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिये। क्योंकि स्थानीय उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

16. श्री दीपेन्द्रसिंह, किशनपुरा:

श्री दीपेन्द्रसिंह, किशनपुरा ने कहा कि मैंने कम्पनी की वेबसाईट पर भी जाकर देखा, लेकिन मुझे कोई जानकारी या रेकार्ड नहीं मिला है, जहाँ कि जमीन आरआईएनएल द्वारा अवाप्त की जा रही है, वहाँ के हम निवासी हैं लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं है। कम्पनी द्वारा जिन लोगों की आधी जमीन ली जा रही है उनकी बाकी की आधी जमीन का क्या होगा, कम्पनी की तरफ से काश्तकार को कोई जानकारी नहीं दी गयी है जो कि आरआईएनएल जैसी प्रतिष्ठित कम्पनी के लिये अच्छी बात नहीं है। यदि कम्पनी के अधिकारियों को यह बात बुरी लग रही हो तो वे अपने को स्वयं मेरी जगह रखकर सोचें कि क्या वे मेरी जगह होते तो क्या करते/क्या कहते? कम्पनी को क्षेत्र के स्थानीय नेताओं को महत्व देना होगा। कम्पनी को मैं 3-एस का एक फार्मूला दे रहा हूँ जिसका यदि वे फॉलो करेंगे तो ही सफल हो पायेंगे। कम्पनी को हर हालत में क्षेत्र में शांति कायम रखनी होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देनी होगी तथा सद्भाव कायम रखना होगा। कम्पनी के अधिकारियों को जो भी कहना व करना हो, वह स्पष्ट रूप से कहकर एवं बताकर ही करें एवं सकारात्मक सोच व क्षेत्र के विकास के साथ कार्य करने होंगे। यदि कम्पनी द्वारा इन बातों की पालना नहीं की जायेगी तो वे अपने मकसद में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की जमीन जा रही है, उसे मुआवजा नहीं देकर दूसरी जगह पर जमीन दी जानी चाहिये, इसके लिये व्यक्ति को चाहे कितनी ही दूरी पर जाना पड़े, हम तैयार हैं। साथ ही आज की जन सुनवाई में जो भी बातें हुई हैं, उन सभी का नोट तैयार कर जनता को उपलब्ध करवाना चाहिये।

17. श्री शक्तिसिंह, कमालपुरा:

श्री शक्तिसिंह ने कहा कि कम्पनी के अधिकारियों द्वारा कोई होमवर्क नहीं किया गया है इसलिये अभी तक जितने भी लोग बोले हैं, सभी कम्पनी के विरोध में ही बोले हैं, एक ने भी कम्पनी की बात का समर्थन नहीं किया है। कम्पनी के सभी कागजात अंग्रेजी में हैं, जो कि हिन्दी में होने चाहिये। लोगों की जमीन ले लेंगे

19

क्षेत्रीय अधिकारी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) भीलवाड़ा

लेकिन यदि उन्हे पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा या रोजगार नहीं मिलेगा तो वे कहाँ पर जायेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 100/200 वर्षों से अपने बाप-दादाओं की जमीन पर निवास कर रहा है, वह कम्पनी के कहने पर एकदम छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके लिये कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों को स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना चाहिये। यदि कम्पनी वाले जन सुनवाई से पूर्व प्रभावित गाँवों में जाकर प्रभावित व्यक्तियों से सम्पर्क कर उन्हें विश्वास में लेते तो आज जो बातें हो रही है, वे नहीं होती।

जनसुनवाई के दौरान श्री संजय कुमार माथुर, उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा निम्न बिंदु बताये गए:

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने कम्पनी के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वे अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का बाजार दर के हिसाब से मुआवजे का एस्टीमेट बनाकर अभी से बजट प्रावधान करवा लेवें ताकि पर्याप्त पैसा होने पर लोगों को पूरा मुआवजा एकमुश्त दिया जा सके। कम्पनी को अपने खनन कार्य एवं अन्य कार्य के लिये पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, अतः भूजल दोहन नहीं करते हुये पानी लिये जाने के लिये अभी से चम्बल परियोजना के अधिकारियों से बात कर प्लान स्वीकृत करवा लेना चाहिये। उन्होंने बताया कि यदि कोई ग्राम पंचायत एनओसी जारी नहीं करती है तो उसके लिये सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करके प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करके एनओसी जारी की जा सकती है। आज की जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण की पर्याप्त मात्रा में फोटो प्रतियाँ करवाकर पंचायत समिति कार्यालय को उपलब्ध करवाई जावे ताकि जो भी व्यक्ति लेना चाहे, वहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सके। आज की कार्यवाही की सीडी की भी पर्याप्त मात्रा में प्रतियाँ करवाकर पंचायत समिति कार्यालय को उपलब्ध करवाई जावे ताकि कोई भी व्यक्ति अपना पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सके। प्रत्येक गाँव के राजस्व रेकार्ड की 100/100 प्रतियाँ करवाकर सम्बन्धित पटवारी को उपलब्ध करवाई जावे ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को जाकर यह बता सके कि किस व्यक्ति का मकान या खेत आरआईएनएल द्वारा अवाप्त किया जा रहा है। किन लोगों को रोजगार दिया जायेगा, उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये। पर्यावरण सम्बन्धी नियमों की सख्ती से पालना की जानी चाहिये। आरआईएनएल कम्पनी के अधिकारियों को ऐसी किसी बात का वादा नहीं करना चाहिये जिसे वे आगे जाकर पूरा नहीं कर सकते हो। कम्पनी की तरफ से पंचायत समिति कार्यालय में एक पीआरओ शाखा कायम करनी चाहिये जो कि स्थानीय लोगों के सवालों का जवाब दे सके तथा उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) भीलवाड़ा

अध्यक्ष महोदय श्री आनंदी लाल वैष्णव, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण

1. राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि० द्वारा आयोजित आज की जन सुनवाई में स्थानीय व्यक्तियों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, क्योंकि लोगों का कड़वा अनुभव जिंदल के साथ रहा है इसलिये ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। किसी भी व्यक्ति को बेघर होने से उसे कितनी तकलीफ होती है, यह बेघर होने वाला ही अच्छी तरह से बता कर सकता है। उसके लिये विस्थापित प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिये, उसे अच्छी एवं आधुनिकतम सुविधाओं वाला आवास मिलना चाहिये। बेघर होने वाले व्यक्ति को पहले आवास उपलब्ध करवाने के बाद ही उसे विस्थापित किया जाये। साथ ही बेघर होने वाले परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को निश्चित रूप से रोजगार दिया जाये।
2. खनन एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से समय–समय पर जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।
3. राष्ट्रीय ईस्पात निगम लि० के अधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम जिन लोगों की जमीन या मकान अवाप्त किये गये हैं, उन्हें प्राथमिकता से रोजगार दिया जाना चाहिये। उसके बाद पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जावे।
4. कम्पनी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों को उनकी कम्पनी में काम आने वाली ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाने के लिये स्कील डवलप किया जाना चाहिये।
5. मुआवजा राशि नये कानून के अनुसार दी जानी चाहिये तथा कम्पनी वाले स्थानीय लोगों की आशंकाओं को दूर कर उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें।
6. पर्यावरण को छोटी सी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है एवं केवल पेड़–पौधे लगाने से पर्यावरण नहीं बचाया जा सकता है बल्कि धूल, ध्वनि, विस्फोटक, धमाके, रासायनिक दूषित पानी आदि सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये तथा लोगों में शांति बनी रहे, ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिये।
7. सीएसआर फण्ड के उपयोग के लिये प्रभावित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर जनता की मांग के अनुसार सामाजिक दायित्व के कार्य करवाये जाने चाहिये।
8. नदी–नाले, धार्मिक स्थल, कुए, बावड़ियों एवं पुरानी धरोहरों को जीवित रखने के प्रावधान किये जाने चाहिये।
9. ओवर बर्डन को एक निश्चित स्थान पर डालने के लिये उपयुक्त जगह का चिन्हीकरण होना चाहिये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

21

जनसुनवाई से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदन का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नाम	पता	विवरण
1	श्री देवेन्द्र देराश्री, सचिव, पानी वाले एनजीओ, बनेड़ा	45 – सुभाष नगर, भीलवाड़ा	आपत्ति बाबत / 02.11.2015
2	श्री देवेन्द्र देराश्री, सचिव, पानी वाले एनजीओ, बनेड़ा	45 – सुभाष नगर, भीलवाड़ा	आपत्ति बाबत / 03.11.2015
3	श्री नरेन्द्रसिंह राजपूत	किशनपुरिया	सुझाव / 04.11.2015
4	श्री अभिजीत सारदा	R/o – 9 – J- 6 & 7, आर. सी. व्यास. कॉलोनी, भीलवाड़ा	सुझाव / 05.11.2015

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	पता	विवरण
1	श्री सरदार मोहम्मद	प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाईगर्स, संस्थान, भीलवाड़ा।	सुझाव
2	श्री बाबु राम खटीक	बनेड़ा	आपत्ति बाबत
3	श्री नति कैलाशी देवी	बनेड़ा	आपत्ति बाबत
4	समस्त ग्रामवासी	समस्त ग्रामवासी	आपत्ति बाबत
5	समस्त ग्रामवासी	बनेड़ा	आपत्ति बाबत
6	श्री गोविन्द सिंह एवं समस्त ग्रामवासी	किशनपुरिया	आपत्ति बाबत
7	श्री रतन लाल बोलखा	B-86, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	आपत्ति बाबत
8	श्री संजय उपाध्याय	B-86, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	आपत्ति बाबत
9	नागरिक कृषकगण	बनेड़ा	आपत्ति बाबत
10	नागरिक कृषकगण	बनेड़ा	आपत्ति बाबत
11	समस्त ग्रामवासी	बनेड़ा	आपत्ति बाबत

22

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भीलवाड़ा

12	श्री रणधीर सिंह राणावत	उपसरपंच सालरियाकलां	सुझाव / आपत्ति बाबत
13	श्री मति रेहमत बानो बेगा	बनेड़ा	सुझाव / आपत्ति बाबत
14	श्री भेरूसिंह राणावत एवं पंचायत सदस्य	पंचायत समिति, [illegible]	सुझाव / आपत्ति बाबत
15	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं ग्रामवासी	कमालपुरा	सुझाव / आपत्ति बाबत
16	श्री देवेन्द्र देराश्री,	सचिव, पानी वाले एनजीओ, बनेड़ा	आपत्ति बाबत
17	श्री प्रेमशर्मा	संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा	आपत्ति बाबत
18	श्री पारस मोगरा	सुरास नाण्डला,	आपत्ति बाबत
19	श्री भेरूलाल	सुल्तानगढ़	आपत्ति बाबत
20	श्री मति सलमा	उपसरपंच, बनेड़ा	आपत्ति बाबत
21	श्री गोपाल सिंह [illegible]	भीलवाड़ा खनन व्यवसाय संघ	सुझाव / आपत्ति बाबत
22	ग्रामवासी	लाम्बिया	सुझाव / आपत्ति बाबत
23	श्री गोवर्धन लाल [illegible]	बनेड़ा	सुझाव / आपत्ति बाबत

अन्त में महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० ने माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) महोदय, उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुलिस उप अधीक्षक महोदय, उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ जन सुनवाई समाप्त की।

(आनन्द [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर)
भीलवाड़ा

([illegible])
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भीलवाड़ा